न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 151/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

मो0 मोकिम अंसारी वगैरह ------------ प्रथम पक्ष

बनाम्

रफीक अंसारी वगैरह ---------------- द्वितीय पक्ष

आदेश

19-11-24

प्रथम पक्ष मो0 मोकिम अंसारी वगैरह के आवेदन पर थाना प्रभारी, ओ0पी भरकटठा के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर दिनांक 21.09.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत किया गया।

मौजा- शाखाबारा, थाना- ओ0पी0 भरकटठा, जिला- गिरिडीह
खाता नं0- 12, प्लॉट नं0- 1272, रकबा- $3\frac{1}{4}$डी0
चौहद्दी : उ0- रफीक अंसारी, द0- रोड
पू0- मोकिम अंसारी प0- हलीमा खातून का मकान

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई। उभय पक्ष उपस्थित हुए। अभिलेख पर प्रथम पक्ष का आवेदन तथा संलग्न कागजात उपलब्ध है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई लिखित कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। प्रथम पक्ष के आवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विवादग्रस्त भूमि प्रथम पक्ष की बदलैन भूमि है जिस पर द्वितीय पक्ष के द्वारा जबरन नींव खोदने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने आवेदन के साथ एक अनिबंधित विक्रय पत्र, एक बदलनामा एग्रीमेन्ट, एक पंचायती निर्णयनामा प्रस्तुत किया गया है।

चुँकि प्रस्तुत वाद में द्वितीय पक्ष का कोई लिखित प्रतिवेदन/कारण पृच्छा अप्राप्त है, अंचल अधिकारी बिरनी का भी कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है। साथ ही विधानसभा निर्वाचन में व्यस्तता के कारण उभय पक्ष के अधिवक्तागण या उभय पक्ष के दलीलों को सुन नहीं पाया। अत: इस वाद में कोई अंतिम निर्णय पारित करना संभव नहीं है। कालातीत होने के कारण इस वाद को बिना कोई अंतिम निर्णय पारित किए समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

19-11-24
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

19-11-24
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.01.03 17:32:27 +05:30
Location: 192.168.1.2